

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... क्यादा 3 डलव्यु सं 500 मुकाम कायड

..... इगाराम बनाम लाधुराम कोर

किस्म मुकदमा रा. प्रो. 111, 128 RUAET नं. 290/19 सन्. 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>हनीम खाँ</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RUAET</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/10/19</u> को पेश हो।</p>	
14/10/19	<p>प्रार्थी वहील उपस्थित। विप्रार्थी/गिणी</p> <p>के नोटिस तामिल काम तामिल अग्राल।</p> <p>इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक</p> <p>05/02/2020 को पेश हो।</p> <p><u>विजयपाल</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
05/02/2020	<p>प्रार्थी वहील उपस्थित। विप्रार्थी/गिणी</p> <p>के नोटिस तामिल काम तामिल अग्राल।</p> <p>इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक</p> <p>25/02/2020 को पेश हो।</p> <p><u>विजयपाल</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	



25/02/2020

प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध। विद्यार्थियों के
 नोटिस तालिका शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली
 विभागात्। विद्यार्थियों का कक्षा तालिका अनुसूचित।
 व्यापार्य समय तीन बार कावाज लगाई गई केंद्रिय
 कावाज 5:45 pm पर लगाई गई विद्यार्थियों स्वयं का
 उन्नी कोर ले होई अधिकतम उपलब्ध नही हुका
 शिक्षा विद्यार्थियों के विच्छेद एडलरका कार्यवाही कमल
 में लई जाली है। प्राथमिक के अधिकतम ही एडपसिग्र
 लक्ष्य लुनी गई प्राथमिक के अधिकतम द्वारा कलाप ही प्राथमिक
 व विद्यार्थियों के ध्यानेदारी ध्येत लेग लेह काये हुए
 ही प्राथमिक व विद्यार्थियों के सेवो के मध्य जो पुरानी माठे
 व उणे काये हुए थे जो वर्तमान में माधिमो ही बजट
 से विध्यत गये है। जिससे प्राथमिक को कपने ध्येत के सेवो
 को सही बान नही हो पा रहा है। लक्षित योने पर
 विद्यार्थियों प्राथमिक के सेवो को लेइडर उममे काम उर
 लेले है जिससे प्राथमिक व विद्यार्थियों के मध्य ध्येत के
 सेवो को लेइडर हमेशा लनाजा बना रहला है। इस
 कारण प्राथमिक को कपने ध्यानेदारी ध्येतो ही पन्ही नैयम-
 वन्नी इरवाना काकषण्ड है इसलिए प्राथमिक को नैयमवन्नी
 कावेदन स्वीडर विभा जाडर नैयमवन्नी कोइश विभा
 जावे। कल प्राथमिक अधिकतम के निवेदन पर प्राथमिक
 को नैयमवन्नी कावेदन स्वीडर विभा जाडर लक्षितयग
 वापस को इमिशन व सम्बन्धित भू अक्षितय निरिउ
 को लक्षित इमिशन निरुक्त विभा जाडर कोइश विभा
 जाल है कि आय स्वयं का लक्षित इमिशन से प्राथमिक
 के ध्यानेदारी ध्येतो ही पन्ही नैयमवन्नी मोडे पर इमिशन
 मुलु जकाडर उरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 शामिल पत्रावली ही पत्रावली कमल कुमार कोइश इज
 नम्बर ले इम ही दाखिल दमल है।

विद्यार्थी
 25/2/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 249
राजस्व आवेदन संख्या - 290/19

दिनांक:- 31/3/2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री दुर्गाराम पुत्र विशनाराम
जाति-जाट,
निवासी-आहोणियों बेनिवालों
की ढाणी, माधासर,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेरश्री लाधूराम पुत्र जेठाराम वगैरा 4
जातियान्-जाट, निवासीयान्-
आहोणियों बेनिवालों की ढाणी,
माधासर, तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा आहोणियों बेनिवालों की ढाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 856/305 रकबा 14.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




(विवेक व्यास) (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 31/3/2020

क्रमांक/वाद/2019/ 249-53
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र विशनाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री लाधूराम पुत्र जेठाराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।



25.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु